

42

20

## कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक : 03/08/NMAET(SMAE)/03/कृ0नि0/2016-17

3816

राँची /दिनांक: 22.9.16

प्रेषक,

जटा शंकर चौधरी, भा.प्र.से.  
कृषि निदेशक,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उप कृषि निदेशक (सा0), कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची।  
जिला कृषि पदाधिकारी,  
राँची, दुमका, लोहरदगा, साहेबगंज, गुमला,  
पलामू, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग एवं धनबाद।  
अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी,  
सिमडेगा, पाकुड़, जामताड़ा, सरायकेला, खूँटी, लातेहार,  
पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, कोडरमा, चतरा, बोकारो, देवघर, रामगढ़ एवं गढ़वा।

विषय : वर्तमान वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी योजनान्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रु0 826.57 लाख एवं राज्यांश रु 551.04 लाख इस प्रकार कुल रु0 1377.61 लाख (तिरह करोड़ सतहत्तर लाख इकसठ हजार रुपये) मात्र की राशि का उपावृत्ति करने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय राज्यादेश सं0 - 63, दिनांक - 16.09.2016 एवं आवंटनादेश संख्या - 55, दिनांक 20.09.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक राज्यादेश सं0 - 63, दिनांक - 16.09.2016 एवं आवंटनादेश संख्या - 55, दिनांक 20.09.16 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी योजनान्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रु0 826.57 लाख एवं राज्यांश रु 551.04 लाख इस प्रकार कुल रु0 1377.61 लाख (तिरह करोड़ सतहत्तर लाख इकसठ हजार रुपये) मात्र की राशि अनुलग्नक 1 के अनुसार उपावृत्ति की जाती है।

उक्त उपावृत्ति वर्तमान वर्ष 2016-17 में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 36-7/2012-AE/Extn.Desk दि0 01.06.2016 के द्वारा कुल विमुक्त राशि रु0 826.57 लाख के आलोक में प्रदान किया जा रहा है।

निले

n

रा

on



2. योजनान्तर्गत उपावंटित राशि रु. 1377.61 लाख (तिरह करोड़ सतहत्तर लाख इकसठ हजार रुपये) की निकासी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में संगत बजटशीर्ष से निम्नवत् स्तम्भ-4 के अनुरूप लघुशीर्षवार की जाएगी :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि	वर्तमान उपावंटित राशि
1	2	3	4
1	मुख्यशीर्ष - 2401 -फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष 796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष -99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06 अनुदान, 52- सबसीडी केन्द्रांश - (01C240100796990652) 52-सबसीडी राज्यांश (01P240100796990652)	1425.6036 1037.7504	495.942 330.624
2	मुख्यशीर्ष - 2401 -फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष 109- विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष -99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृत शीर्ष -06 अनुदान, 52- सबसीडी केन्द्रांश - (01C240100109990652) 52- सबसीडी राज्यांश - (01P240100109990652)	712.8018 518.8752	247.971 165.312
3	मुख्यशीर्ष - 2401 -फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष -99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं तकनीक, विस्तृतशीर्ष-06 अनुदान, 52- सबसीडी केन्द्रांश - (01C240100789990652) 52-सबसीडी राज्यांश (01P240100789990652)	237.6006 172.9584	82.657 55.104
	योग	4105.5900	1377.610

(तिरह करोड़ सतहत्तर लाख इकसठ हजार रुपये)

3. राशि की निकासी एवं व्यय भारत सरकार की मार्गदर्शिका तथा इस संबंध में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप किया जाएगा।
4. उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक - 2561/वि०(2) दिनांक - 17.04.1998 एवं पत्रांक - 1800 दिनांक 15.07.2003 एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में **राज्यादेश संख्या - 63, दिनांक - 16.09.2016** में निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप सभी संबंधित वित्तीय नियमावली/कोषागार संहिता में वर्णित अनुदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए संबंधित कोषागार/उपकोषागार से की जाएगी।
5. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो संबंधित जिलों के जिला कोषागार/उप कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। रामगढ़ जिला हेतु स्वीकृत /उपावंटित राशि की निकासी हजारीबाग जिला के लिए घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा जिला कोषागार हजारीबाग से की जाएगी।

निरा

m

—

मं

3816  
22-9-16



6. उपावंटित राशि की निकासी संबंधी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष, समूहशीर्ष, लघुशीर्ष एवं उपशीर्ष का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। अन्य लेखा आंकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को होगी।
7. योजना कार्यान्वयन के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र/भौतिक प्रतिवेदन का प्रेषण तथा तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण महालेखाकार, झारखण्ड तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग, झारखण्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।
9. वर्तमान उपावंटन निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 492 दिनांक 20.09.2016 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रदान किया जा रहा है।
10. प्रासंगिक राज्यादेश संख्या - 63, दिनांक - 16.09.16 एवं आवंटन सं0 55 दिनांक 20.09.16 में सन्निहित सभी शर्तों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारियों का होगा।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक - यथोक्त।

*[Signature]*  
कृषि निदेशक,  
झारखण्ड, राँची 22/9/16

ज्ञापांक -

3816

राँची, दिनांक

22.9.16

**प्रतिलिपि :** महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/संबंधित सभी उपायुक्त /सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
कृषि निदेशक,  
झारखण्ड, राँची 22/9/16

ज्ञापांक -

3816

राँची, दिनांक

22.9.16

**प्रतिलिपि :** सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची /माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची/ निदेशक समेति, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/ संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी-सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, झारखण्ड/संबंधित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (यो.) / लेखा शाखा (दो प्रतियों में), कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

*[Signature]*  
कृषि निदेशक,  
झारखण्ड, राँची 22/9/16

*[Handwritten signature]*



(राशि लाख रु० में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मुख्यशीर्ष - 2401 - फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष 796- जनजातीय क्षेत्रीय उपरोजना, उपशीर्ष -99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एवं तकनीक, विस्तृताशीर्ष-06 अनुदान, 52- सबसीडी				मुख्यशीर्ष - 2401 - फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष -99-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एकाईशन एवं तकनीक, विस्तृताशीर्ष-06 अनुदान, 52- सबसीडी				मुख्यशीर्ष - 2401 - फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष 109- विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष -99- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एकाईशन एवं तकनीक, विस्तृताशीर्ष -06 अनुदान, 52- सबसीडी				Total
		केंद्रांश	राज्यांश	केंद्रांश	राज्यांश	केंद्रांश	राज्यांश	केंद्रांश	राज्यांश	केंद्रांश	राज्यांश	केंद्रांश	राज्यांश	
		01C240100796990652	01P240100796990652	01C240100789990652	01P240100789990652	01C240100789990652	01P240100789990652	01C240100109990652	01P240100109990652					
1	जिला कृषि पदाधिकारी, राँची	3	4	5	6	7	8							9
1	जिला कृषि पदाधिकारी, राँची	63.00000	28.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	91.00000
2	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, ब्लैटी	26.00000	21.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.00000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, गुमला	30.00000	25.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.00000
4	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा	30.00000	25.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55.00000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा	18.00000	24.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.00000
6	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम	54.00000	25.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79.00000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, च. सिंहभूम	64.00000	26.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90.00000
8	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार	10.94200	20.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30.94200
9	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी -सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, सरायकेला	35.00000	23.62400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58.62400
10	जिला कृषि पदाधिकारी, दुमका	60.00000	30.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90.00000
11	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा	25.00000	16.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.00000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज	35.00000	25.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60.00000
13	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, पाकुड़	20.00000	30.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.00000
14	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, गढ़वा	0.00000	0.00000	10.00000	5.00000	0.00000	0.00000	20.00000	15.31200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.31200
15	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, बलरामपुर	0.00000	0.00000	12.00000	13.00000	0.00000	0.00000	20.00000	14.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59.00000
16	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, गोड्डा	0.00000	0.00000	2.65700	5.00000	0.00000	0.00000	15.00000	10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.65700
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पलामू	0.00000	0.00000	8.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.00000	17.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.00000
18	जिला कृषि पदाधिकारी, निरडीह	0.00000	0.00000	15.00000	20.10400	0.00000	0.00000	30.00000	15.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.10400
19	जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद	0.00000	0.00000	5.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.00000	15.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.00000
20	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, बोकारो	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.00000	18.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.00000
21	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, देवघर	0.00000	0.00000	10.00000	5.00000	0.00000	0.00000	25.00000	25.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65.00000
22	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह- प्रमारी जिला कृषि पदाधिकारी, कोडरमा	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.00000	11.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.00000
23	जिला कृषि पदाधिकारी, हजारीबाग	0.00000	0.00000	20.00000	2.00000	0.00000	0.00000	37.97100	15.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74.97100
24	जिला कृषि पदाधिकारी, हजारीबाग (यमगढ़ जिला के लिए)	0.00000	0.00000	0.00000	5.00000	0.00000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.00000
25	उप कृषि निदेशक (सा०), कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची	25.00000	12.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.00000
	कुल	495.94200	330.62400	82.65700	55.10400	247.97100	165.31200	1377.61000						

(तेरह करोड़ सतहतर लाख इकसठ हजार रुपये मात्र)

28/6  
22/9/16

अतिरिक्त निदेशक  
झारखण्ड, राँची

28/6  
22/9/16

अतिरिक्त निदेशक  
झारखण्ड, राँची